प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री यशोवर्धन शर्मा पुत्र श्री भवानी शंकरजी शर्मा, खागल मौहल्ला, वार्ड संख्या 04 बाडमेर		लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रानीवाडा
प्रकरण अपील		43 /2017
कम्प्यूटर आई.डी		2017/

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

07.11.2017	अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब में व्यक्त किया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/सू.अ./41 दिनांक 01.11.2017 से रजिस्टर्ड ए. डी. द्वारा भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील में सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत पोस्टल आर्डर संख्या 40 एफ 797066 के संलग्न आवेदन पत्र द्वारा सूचना चाही गई। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार रानीवाडा ने आवेदित सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/सू.अ./2017/41 दिनांक 01.11.2017 के द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भिजवायी जाना अवगत करवाया है। आवेदित सूचना अपीलांट को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इस प्रकार सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी होने से प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। (बी.एल. कोठारी) प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

[redacted]